<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश, अजमेर (राज.)</u>

पीठासीन अधिकारी – विक्रान्त गुप्ता, (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

(1) **फौजदारी विविध प्रकरण संख्या** 229/2026

कुलदीप बंजारा पुत्र श्री नेमीचन्द, निवासी बंजारा बस्ती, तोपदड़ा, पुलिस थाना क्लॉक टॉवर, अजमेर।

-- प्रार्थी–अभियुक्त

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, अजमेर। -- अभियोगी

(2) **फौजदारी विविध प्रकरण संख्या** 243/2026

कमलेश बंजारा पुत्र श्री नेमीचन्द, निवासी बंजारा बस्ती, तोपदड़ा, पुलिस थाना क्लॉक टॉवर, अजमेर।

-- प्रार्थी–अभियुक्त

<u>बनाम</u>

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, अजमेर। -- अभियोगी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या 14521/2025 सरकार बनाम कमलेश व अन्य, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 101/2025, पुलिस थाना क्लॉक टॉवर, अजमेर, अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता।

<u>उपस्थित</u>

1– श्री कैलाश सुनारीवाल, अधिवक्ता, प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से।

2– श्री जे.पी.शर्मा, लोक अभियोजक, राज. राज्य की ओर से।

<u>आदेश</u> **<u>दिनांक–12.03.2026</u>**

1. प्रार्थीगण–अभियुक्तगण कुलदीप बंजारा व कमलेश बंजारा की ओर से ये जमानत के पृथक–पृथक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान अधिवक्ता श्री कैलाश सुनारीवाल ने प्रस्तुत किये, जिनकी नकल विद्वान लोक अभियोजक को दिलाई गई। चूंकि ये दोनों ही जमानत आवेदन एक ही घटना से उद्भव हुई प्राथमिकी से सम्बन्धित हैं, अतः इनका निस्तारण एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है। बहस सुनी गई तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी त्रिलोक बंजारा ने एक परिवाद न्यायालय में दिनांक 16.04.2025 को इस आशय का पेश किया गया कि कमलेश, नेमीचन्द, कुलदीप, रसाली व सपना द्वारा समाज के लोगों की बीसी पिछले कई वर्षों से संचालित की जा रही थी, जिस कारण उसके द्वारा वर्ष 2021 से कमलेश के पास अपनी बीसी का खाता खुलवा रखा था तथा उसके द्वारा वर्ष 2021 से 2025 तक कुल 4,65,000/–

Authenticated Document

रूपये उसके पास जमा करा दिये थे। उसके द्वारा उक्त बीसी का भुगतान किश्ते पूर्ण होने के पश्चात उसे लौटाई जानी थी, परन्तु उसे उसकी परिपक्वता राशि 4,65,000/–रूपये प्राप्त नहीं होकर केवल एक लाख रूपये प्राप्त हुए हैं, शेष राशि 3,65,000/–रूपये की मांग उसने कमलेश से जाकर की तो बहाना बनाकर टालता रहा। उसे कुछ दिन पूर्व ज्ञात हुआ कि कमलेश व उसके परिवार के सदस्य उनके समाज एवं अन्य समाज के लोगों के पैसे हड़प कर उक्त पैसों से बनाई गई सम्पत्तियों को बेचकर फरार होने का प्लान बना रहे हैं, जिसके चलते उसने कई बार पैसों की मांग की, परन्तु पैसे नहीं लौटाये तथा दिनांक 08.02.2025 को कमलेश यहां से करोड़ों रूपये समेट कर फरार हो गया। उसके पिता, मां, पत्नी व भाई ने रकम लौटाने से इंकार कर दिया। कमलेश व उसके पिता नेमीचन्द, मां रसाली, भाई कुलदीप तथा पत्नी सपना सभी इस धोखाधड़ी व बी.सी. के संचालक है, जो सभी लोगों से पैसे प्राप्त किया करते थे, इत्यादि। उक्त परिवाद को धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत पुलिस थाना क्लॉक टॉवर, अजमेर को जांच व अनुसंधान हेतु भेजा गया, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 101/2025 दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया जाकर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में आरोप–पत्र विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

3. बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया हैं। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का आरोपित अपराध से कोई लेना देना नहीं है। प्रकरण में बाद अनुसंधान आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा श्रवण योग्य है। अतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को जमानत की सुविधा दिये जाने का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक श्री जे.पी.शर्मा का तर्क है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस ने जुर्म धारा 318(4), 316(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता का आरोप प्रमाणित पाते हुए आरोप–पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व में हस्तगत प्रकरण के अलावा अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के अपराध की गम्भीरता को देखते हुए, प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

4. उभयपक्ष के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के विरूद्ध आपराधिक षडयंत्र के तहत परिवादी व अन्य लोगों को प्रवंचित कर उनसे छल पूर्वक बी.सी. व अन्य योजनाओं के संचालन के जरिये लाखों रूपये की राशि प्राप्त कर उक्त राशि का बेईमानीपूर्वक दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यासभंग कारित करने के आरोप में आरोप पत्र विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम पर नियत है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण कमलेश बंजारा व कुलदीप बंजारा दिनांक 25.08.2025 से पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रार्थी–अभियुक्त कुलदीप की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत आवेदन संख्या 33/2026 कुलदीप बनाम राज.राज्य इस न्यायालय द्वारा जरिये आदेश दिनांक 09.01.2026 से खारिजशुदा है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण कुलदीप बंजारा व कमलेश बंजारा के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा निम्न आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की सूची

पत्रावली पर उपलब्ध है, जो निम्न प्रकार है–

क्र.सं.	प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या मय थाना	मुकदमा नम्बर	उनवान प्रकरण	अपराध अन्तर्गत धारा	विवरण
1	36/2025 क्लॉक टॉवर अजमेर	6162/2025	सरकार बनाम कमलेश वगैरह	316(2),318(4),62(2) बी.एन.एस.	चालान पेश
2	100/2025 क्लॉक टॉवर अजमेर	14527/2025	सरकार बनाम कमलेश वगैरह	316(2),318(4),62(2) बी.एन.एस.	चालान पेश
3	102/2025 क्लॉक टॉवर अजमेर	14519/2025	सरकार बनाम कमलेश वगैरह	316(2),318(4),62(2) बी.एन.एस.	चालान पेश
4	104/2025 क्लॉक टॉवर अजमेर	14522/2025	सरकार बनाम कमलेश वगैरह	316(2),318(4),62(2) बी.एन.एस.	चालान पेश
5	105/2025 क्लॉक टॉवर अजमेर	14523/2025	सरकार बनाम कमलेश वगैरह	316(2),318(4),62(2) बी.एन.एस.	चालान पेश
6	106/2025 क्लॉक टॉवर अजमेर	14373/2025	सरकार बनाम कमलेश वगैरह	316(2),318(4),62(2) बी.एन.एस.	चालान पेश
7	107/2025 क्लॉक टॉवर अजमेर	14524/2025	सरकार बनाम कमलेश वगैरह	316(2),318(4),62(2) बी.एन.एस.	चालान पेश
8	108/2025 क्लॉक टॉवर अजमेर	14525/2025	सरकार बनाम कमलेश वगैरह	316(2),318(4),62(2) बी.एन.एस.	चालान पेश
9	109/2025 क्लॉक टॉवर अजमेर	14532/2025	सरकार बनाम कमलेश वगैरह	316(2),318(4),62(2) बी.एन.एस.	चालान पेश
10	110/2025 क्लॉक टॉवर अजमेर	14377/2025	सरकार बनाम कमलेश वगैरह	316(2),318(4),62(2) बी.एन.एस.	चालान पेश
11	111/2025 क्लॉक टॉवर अजमेर	14526/2025	सरकार बनाम कमलेश वगैरह	316(2),318(4),62(2) बी.एन.एस.	चालान पेश
12	136/2025 क्लॉक टॉवर अजमेर	16863/2025	सरकार बनाम कमलेश वगैरह	316(2),318(4),62(2) बी.एन.एस.	चालान पेश
13	137/2025 क्लॉक टॉवर अजमेर	158/2026	सरकार बनाम कमलेश वगैरह	316(2),318(4),62(2) बी.एन.एस.	चालान पेश
14	138/2025 क्लॉक टॉवर अजमेर	156/2026	सरकार बनाम कमलेश वगैरह	316(2),318(4),62(2) बी.एन.एस.	चालान पेश
15	139/2025 क्लॉक टॉवर अजमेर	157/2026	सरकार बनाम कमलेश वगैरह	316(2),318(4),62(2) बी.एन.एस.	चालान पेश

प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखने से यह प्रकट होता है कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा समान प्रकृति के पन्द्रह अन्य आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर लम्बित है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण द्वारा परिवादी सहित अन्य लोगों से बी.सी. संचालन के नाम पर आपराधिक षडयंत्र के तहत लाखों रूपये प्राप्त कर छल कारित करते हुए आपराधिक न्यास भंग किया गया है। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का एक तर्क यह भी रहा है कि प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा श्रवण योग्य है। न्यायालय के मत में कोई

आपराधिक प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा श्रवण योग्य होने के अनन्य आधार पर, गम्भीर प्रकृति के धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त जमानत पर आजाद होने का विधिक हकदार नहीं रहता है। यह भी सही है कि मात्र अन्य आपराधिक प्रकरणों के पंजीबद्ध होने का अनन्य आधार जमानत खारिजी का नहीं हो सकता। परन्तु देखना यह होता है कि एक ही प्रकार के मुकदमें निरन्तर पंजीबद्ध हुए हैं, तो आपराधिक पृष्ठभूमि होने का तथ्य भी जमानत के आवेदन का निस्तारण करते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण का आपराधिक रिकार्ड प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की आपराधिक पृष्ठभूमि को इंगित करता है। वर्तमान समय में इस प्रकार के अपराधों की बढ़ोतरी दिनोदिन हो रही है, जिसमें प्रार्थीगण–अभियुक्तगण ने आपस में मिलकर भोली भाली जनता की बचत की राशि को हड़प करने का गम्भीर अपराध कारित किया है। अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता व प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को इस प्रक्रम पर जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

6. अतः प्रार्थी–अभियुक्त कुलदीप बंजारा की ओर से प्रस्तुत यह जमानत आवेदन फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 229/2026 व प्रार्थी–अभियुक्त कमलेश बंजारा की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 243/2026 अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार किये जाकर खारिज किये जाते हैं।

उक्त आदेश की एक प्रति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुहास चकमा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (रिट याचिका संख्या 1082/2020) में जारी निःशुल्क विधिक सहायता सुविधाओं के बारे में पारित निर्देशों की जानकारी हेतु मुलजिम को कवर शीट के साथ उपलब्ध कराने हेतु जरिये ई–मेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर को प्रेषित की जावे।

(विक्रान्त गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर

7. आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विक्रान्त गुप्ता)
सेशन न्यायाधीश, अजमेर

DINESH MUNDRA
Digitally signed by DINESH MUNDRA
Date: 2026.03.12 14:34:24 +0530

Authenticated Document